कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, अटल नगर जिला–रायपुर

–: कार्यालयीन आदेश :–

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 02/09/2021

क्रमांक 24 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2021:– एतद द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र कमांक एफ 4–2/2001/1–3 दिनांक 06.09.2003 अनुसार छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, में निहित निर्देश एवं प्रावाधान अनुसार, सहपठित मान.उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा याचिका–WPS No 9778/2019–में पारित आदेश दिनांक 08.01.2020 के अध्याधीन रहते हुये, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.06.2020 एवं पत्र क. एफ 4–1/2019/1–3 दिनांक 24.06.2020 के परिपालन में विभागीय पुर्नगठित पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 06.11.2020, पुर्नसत्यापित बैठक दिनांक 18.11.2020, {छत्तीसगढ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 यथासंशोधित, विशेषकर नियम–6 (1) से (15)}, को समिति की अनुशंसानुसार, अराजपत्रित–राज्य स्तरीय, चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) को अस्थाई तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक, सहायक ग्रेड–3 के पद पर छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के वेतन लेवल–4, 19500–62000 में पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क	कर्मचारी का नाम	संवर्ग	वर्तमान पदस्थापना कार्यालय	नवीन पदस्थापना कार्यालय
1	श्री शिवशंकर यादव	अपिव	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र बिलासपुर	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र बिलासपुर
2	श्रीमती सुषमा महंत	अपिव	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र रायपुर	कार्या. मु.अ., परिक्षेत्र रायपुर

टीपः–

1. प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशो का परीक्षण संबंधित वर्ग के पदोन्नति समिति के अधिकारियों द्वारा किया गया है, एवं तद्नुसार पालन किया गया है।
2. पदोन्नत कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा, पदोन्नति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. पदोन्नत भृत्य की पारस्परिक वरिष्ठता नियमानुसार फीडर केडर के अनुसार रहेगी।
4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश के प्राप्ति की तिथि से 01 माह के भीतर देना होगा, इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जावेगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर कार्यालय द्वारा वेतन निर्धारण नियमो के अंतर्गत कर दिया जावेगा।

2/9/5

(डॉ. एम.एल. अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

O/C

पृ0क्र. 762/स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2020 अटल नगर, दिनांक 02/02/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोस्वायांवि, (सिविल/वि.यां) मण्डल ..... की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कार्यपालन अभियंता, लोस्वायांवि, खण्ड/परि.खण्ड/वि.यां खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित श्री ....., भृत्य, कार्यालय ..... लोस्वायांवि, ... की ओर पालनार्थ प्रेषित।
5. कर्यालयीन आदेश।
6. मास्टर फाईल।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, अटल नगर

O/C